केन्द्रीय राजभाषा प्रकोष्ठ
CENTRAL RAJBHASHA CELL
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)

दूरभाष क्र. : (07582) 297118 ई–मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in

क्र.: रा.भा/33/ 5129 दिनांक : अक्टूबर, 2026
12/11/2026

कार्यालय ज्ञापन
Office Memorandum

विषय: समाचार पत्रों तथा आधिकारिक डिजिटल मीडिया मंचों पर विश्वविद्यालय के विज्ञापनों, रोजगार सूचनाओं एवं प्रेस विज्ञप्तियों को जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से ही जारी किए जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालयी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 54वीं तिमाही समीक्षा बैठक में समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विश्वविद्यालय के विज्ञापनों में राजभाषा सबंधी प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया गया है। इस तारतम्य में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विश्वविद्यालय में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन एवं विज्ञापन प्रकाशन की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एतद्द्वारा समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, परियोजना अधिकारियों, नियंत्रण अधिकारियों, कार्यालयाध्यक्षों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की ओर से समाचार-पत्रों एवं अन्य आधिकारिक डिजिटल मीडिया मंचों पर प्रकाशनार्थ जारी किए जाने वाले समस्त विज्ञापन, रोजगार सूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां एवं अन्य संबंधित सामग्री केवल **जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से ही जारी करने हेतु अग्रेषित की जाए।**

जनसंपर्क अधिकारी (प्रभारी)	डॉ. विवेक जायसवाल
सपंर्क सूत्र एवं पता	जनसंपर्क कार्यालय, संगीत विभाग के बगल में, हिल कैंपस
दूरभाष एवं मोबाइल नं.	8269885473
ई-मेल	mediaofficer@dhsgsu.edu.in

इस संबंध में जनसंपर्क कार्यालय विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप संबंधित सामग्री के परीक्षण तथा राजभाषा संबंधी प्रावधानों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार जहां अपेक्षित हो, हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषी प्रकाशन सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत जांच बिंदु के रूप में कार्य करेगा। राजभाषा संबंधी प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन के संबंध में विश्वविद्यालय के केन्द्रीय राजभाषा प्रकोष्ठ का सहयोग लिया जा सकता है।

समस्त संबंधित अधिकारी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, उक्त प्रावधानों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कार्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे।

यह कार्यालय ज्ञापन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव 14/11/2026

प्रतिलिपि:

1. कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, परियोजना अधिकारियों, नियंत्रण अधिकारियों एवं कार्यालयाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
3. प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी- आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ- वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
5. गार्ड फाइल।

संयुक्त कुलसचिव
एवं राजभाषा अधिकारी (प्र.)